

18⁷/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता अनु.
पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार
आवाजें लगाई जाने के बावजूद वादी व उनके
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की
जाती है। पत्रावली फ़ैसल न्युमार होकर नंबर
से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली